

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या-पी०आर०/2026

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 (सत्र 2026-2027) में सम्मिलित होने के लिए पंजीयन/अनुमति आवेदन से छूटे हुए विद्यार्थियों के लिए-

- ऑनलाइन शुल्क (विलंब शुल्क के साथ) जमा करते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने हेतु दिनांक 18.08.2026 से 22.08.2026 तक की अवधि विस्तार करने,
- जिन विद्यार्थियों के पंजीयन/अनुमति आवेदन इस अवधि में भरे जायेंगे तथा पूर्व से जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे गये हैं, किन्तु घोषणा पत्र (Pre-filled) अपलोड नहीं है, उनका हस्ताक्षरित Pre-filled घोषणा पत्र अपलोड करने एवं जिनका निर्धारित शुल्क पूर्व से जमा है, किन्तु पंजीयन/अनुमति आवेदन नहीं भरा गया है, उनका पंजीयन/अनुमति आवेदन भरते हुए हस्ताक्षरित Pre-filled घोषणा पत्र अपलोड कर पंजीयन/अनुमति आवेदन Submit करने एवं
- घोषणायुक्त डमी पंजीयन कार्ड डाउनलोड तथा परिलक्षित त्रुटि का सुधार करने एवं विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी पंजीयन कार्ड विद्यालय के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 175/2025, 197/2025, 207/2025, 208/2025, 226/2025, 249/2025, 266/2025, 275/2025, 296/2025 एवं 156/2026 के द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 (सत्र 2026-2027) में सम्मिलित होने के लिए माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 09वीं में विधिवत् नामांकित/नियमित रूप से अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का संबंधित विद्यालय प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने हेतु दिनांक 22.07.2026 तक अवधि विस्तारित की गई थी।

2. उक्त अवधि में पंजीयन/अनुमति आवेदन से वंचित विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन (विलंब शुल्क के साथ) भरे जाने हेतु दिनांक 18.08.2026 से 22.08.2026 तक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। इस विस्तारित अवधि में मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान समिति के वेबसाइट <https://secondary.biharboardonline.org> अथवा डायरेक्ट लिंक <https://biharboardonline.org> से अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए पंजीयन/अनुमति से वंचित विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति भर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत् है :-

मद	नियमित कोटि के लिए	स्वतंत्र कोटि के लिए
ऑनलाइन पंजीयन आवेदन पत्र शुल्क	50	50
ऑनलाइन डाटा इन्ट्री शुल्क	50	50
पंजीयन शुल्क	250	250
अनुमति शुल्क	—	130
विलंब शुल्क	100	100
कुल राशि	450	580

नोट-ऑनलाइन डाटा इन्ट्री शुल्क रुपये 50/- (पचास) में से रुपये 30/- (तीस) शिक्षण संस्थान द्वारा रखा जाएगा, जिसका उपयोग शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के ऑनलाइन आवेदन भरने तथा उन्हें डमी/मूल पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर प्राप्त कराने के मद में किया जाएगा।

3. ध्यातव्य हो कि इस निर्धारित अवधि (दिनांक 18.08.2026 से 22.08.2026 तक) में ही विद्यालय के प्रधान द्वारा पंजीयन/अनुमति आवेदन के लिए विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित शुल्क जमा किये जायेंगे तथा इसके साथ-साथ इसी अवधि में पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे जायेंगे एवं (Pre-filled) घोषणा पत्र भी अपलोड किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि छात्र/छात्राओं का निर्धारित शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) पहले जमा होगा, उनका पंजीयन/अनुमति आवेदन ऑनलाइन दिनांक 18.08.2026 से 22.08.2026 तक की अवधि में कभी भी भरा जाएगा।

4. इस अवधि में जिन विद्यार्थियों के पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे जाएँगे, उनके विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर पंजीयन/अनुमति आवेदन Submit किया जाएगा।

5. पूर्व में जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे गए हैं, किन्तु घोषणा पत्र (Prefilled) अपलोड नहीं है, उनका हस्ताक्षरित Prefilled घोषणा पत्र भी इस अवधि में अपलोड कर पंजीयन/अनुमति आवेदन Submit किया जाएगा।

6. वैसे विद्यार्थी जिनका पंजीयन/अनुमति शुल्क पूर्व से जमा है, किन्तु उनका पंजीयन/अनुमति आवेदन नहीं भरा जा सका है, उनका भी इस अवधि (दिनांक 18.08.2026 से 22.08.2026 तक) में ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरते हुए (Pre-filled) घोषणा पत्र अपलोड कर पंजीयन/अनुमति आवेदन Submit किया जा सकता है। साथ ही जिन विद्यार्थियों का पंजीयन/अनुमति आवेदन (Pre-filled घोषणा पत्र सहित) भरा गया है, किन्तु हस्ताक्षरित घोषणापुक्त डमी पंजीयन कार्ड अपलोड नहीं किया गया है, उन विद्यार्थियों का हस्ताक्षरित डमी पंजीयन कार्ड भी इस अवधि में अपलोड किया जायेगा।

7. पंजीयन/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरने हेतु विगत अवधि में यह पाया गया है कि कतिपय विद्यालय के द्वारा जितने परीक्षार्थियों का निर्धारित शुल्क जमा किया गया, उतने विद्यार्थियों का पंजीयन/अनुमति आवेदन ऑनलाइन नहीं भरे गए। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित अवधि तक जमा किए गए शुल्क के अनुरूप पंजीयन/अनुमति आवेदन निश्चित रूप से भरे जायें। साथ ही इस अवधि में विलम्ब शुल्क के साथ पंजीयन/अनुमति शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त किसी विद्यार्थी का पंजीयन/अनुमति आवेदन नहीं भरा जाता है, तो निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा इससे बाद में उत्पन्न किसी समस्या के लिए विद्यालय के प्रधान स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8. केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध छात्र/छात्राओं का निर्धारित शुल्क जमा करते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरा जायेगा। जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द है अथवा मान्यता/संबद्धता वापस ले ली गयी है तथा जो निलंबित है, वैसे विद्यालयों से पंजीयन/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जायेगा।

9. किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान छात्र/छात्रा एवं उनके माता-पिता के नाम तथा अन्य विवरणी के स्थान पर अंग्रेजी के वर्ण यथा-A, B, C, AB, BC, X, XY, XYZ आदि छद्म एवं बेनामी नाम/डमी आंकड़ों की प्रविष्टि नहीं की जाएगी। ऐसा पाये जाने पर इस तरह के पंजीयन/अनुमति आवेदन को रद्द करते हुए विद्यालय प्रधान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

10. पंजीयन/अनुमति आवेदन प्रपत्र के कॉलम-04 में यदि अभ्यर्थी को अपार आई०डी० (APAAR ID) आवंटित है, तो उसकी प्रविष्टि की जायेगी। पंजीयन/अनुमति आवेदन प्रपत्र के कॉलम-17 में अभ्यर्थी का आधार नंबर अंकित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को आधार कार्ड/नंबर आवंटित नहीं हुआ है, तो इस आशय की घोषणा कॉलम-18 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस विषय के संबंध पंजीयन/अनुमति आवेदन प्रपत्र के कॉलम-17 एवं 18 में स्पष्ट निदेश अंकित है।

11. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 से व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत ऐच्छिक विषय के रूप में सुरक्षा (Security), ब्यूटिशियन (Beautician), टूरिज्म (Tourism), ऑटोमोबाइल (Automobile), रिटेल मैनेजमेंट (Retail Management), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (Electronics & H/W), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness), टेलीकॉम (Telecom) एवं आई०टी०/आई०टीज० (IT/ITes) ट्रेड को आठवें विषय के रूप में शामिल किया गया है।

11.1 व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत उक्त विषयों/ट्रेडों के पठन-पाठन की व्यवस्था के लिए जिले में विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। ऐसे विद्यालयों की सूची समिति के पोर्टल/वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। इन विद्यालयों में निर्दिष्ट विषय/ट्रेड का अध्ययन कर रहे छात्र/छात्रा के द्वारा ही इनमें से किसी एक का चयन कर परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है।

11.2 राज्य/जिला के अन्य विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के द्वारा इन विषयों का चयन नहीं किया जाएगा। पंजीयन आवेदन प्रपत्र के स्तंभ-26 में इसका उल्लेख किया गया है। चिन्हित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के द्वारा इसमें से एक का चयन करते हुए संबंधित बॉक्स में (✓) किया जाएगा।

12. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 (सत्र 2026-27) की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ विद्यार्थी पंजीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि पंजीयन/अनुमति आवेदन भरते समय कोई त्रुटि न हो।

13. अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 (सत्र 2026-27) के सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीयन आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

14. विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 207/2025 के अन्य शर्तें यथावत रहेंगे।

15. घोषणायुक्त डमी पंजीयन कार्ड डाउनलोड, परिलक्षित त्रुटि का सुधार एवं हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी पंजीयन कार्ड अपलोड करने के संबंध में।

15.1 वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 (सत्र 20226-2027) में सम्मिलित होने के लिए छूटे हुए विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन (Pre-filled घोषणा पत्र सहित) निर्धारित अवधि (दिनांक 18.08.2026 से दिनांक 22.08.2026 तक) में भरे जायेंगे अथवा पूर्व से भरे गए हैं, उनका घोषणायुक्त डमी पंजीयन कार्ड विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक तथा शिक्षण संस्थान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 18.08.2026 से दिनांक 22.08.2026 तक की अवधि में पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

15.2 जिन विद्यार्थियों का पंजीयन/अनुमति आवेदन निर्धारित अवधि (दिनांक 18.08.2026 से 22.08.2026 तक) में भरा जायेगा एवं (Pre-filled) घोषणा पत्र अपलोड किया जायेगा, उसी समय उनका घोषणायुक्त डमी पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड रहेगा, जिसे विद्यालय प्रधान द्वारा डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।

15.3 डाउनलोड घोषणायुक्त डमी पंजीयन कार्ड में अंकित विवरणी का मिलान विद्यालय प्रधान, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक द्वारा किया जायेगा। घोषणायुक्त डमी पंजीयन कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहने पर विद्यार्थी व उनके माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरोपरान्त विद्यालय के प्रधान द्वारा भी अपना हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित कर इसे समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

15.4 यदि डाउनलोड घोषणायुक्त डमी पंजीयन कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पायी जाती है, तो उसका ऑनलाइन सुधार दिनांक 22.08.2026 तक की अवधि में विद्यालय के प्रधान द्वारा किया जायेगा। ऑनलाइन सुधार के बाद पुनः परिशुद्ध विवरणी सहित घोषणायुक्त डमी पंजीयन कार्ड डाउनलोड किया जायेगा तथा इस पर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं विद्यालय के प्रधान के हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर दिनांक 22.08.2026 तक की अवधि में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

15.5 यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों के पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे जायेंगे, किन्तु हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी पंजीयन कार्ड अपलोड नहीं किया जायेगा, तो उन्हें वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं तदनुसार उनका प्रवेश पत्र भी निर्गत नहीं किया जायेगा। इस तरह एक वर्ष व्यर्थ चला जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित विद्यार्थी एवं विद्यालय के प्रधान की होगी।

15.6 घोषणायुक्त डमी पंजीयन कार्ड डाउनलोड करने, इसमें परिलक्षित त्रुटि/विसंगति के ऑनलाइन सुधार करने एवं परिशुद्ध विवरणी सहित विद्यार्थी व उनके माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ-साथ विद्यालय के प्रधान द्वारा भी अपना हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित कर समिति के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या— पी0आर0 168/2026 के अनुरूप रहेगी।

16. ऑनलाइन पंजीयन आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने के साथ-साथ विषयांकित कार्य में किसी प्रकार की असुविधा अथवा कठिनाई होने पर समिति के हेल्पलाइन नं०— 9430429722 अथवा E-mail Id : bseb@antiersolutions.com पर सूचित कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

SR
17/08/26
17/08/26

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

ज्ञापांक : केन्द्रीय (मा०)— 262/25-के०— 2038 / पटना, दिनांक : 17/08/2026

- प्रतिलिपि : 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। यह भी अनुरोध है कि निदेशानुसार विज्ञापन प्रसारण की सूचना राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालय को ई-मेल/WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाय। इसकी सूचना विद्यालयों के प्रधान एवं संबंधित विद्यार्थियों को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाय। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाए। तदनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।
2. राज्य के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. M/S ANTIER SOLUTIONS PVT. LTD. को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित समय तक पोर्टल चालू रखने की सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिले में व्यावसायिक शिक्षा हेतु चिन्हित विद्यालयों से विषयवार पठन-पाठन हेतु निर्धारित परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर ही व्यावसायिक विषय के साथ पंजीयन आवेदन भरा जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द है अथवा मान्यता/संबद्धता वापस ले ली गयी है तथा जो निलंबित है, वैसे विद्यालयों से पंजीयन/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जा सके, इसके लिए अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। साथ ही किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान छात्र/छात्रा एवं उनके माता-पिता के नाम तथा अन्य विवरणी के स्थान पर अंग्रेजी के वर्ण यथा—A, B, C, AB, BC, X, XY, XYZ आदि छद्म एवं बेनामी नाम/डमी आंकड़ों की प्रविष्टि नहीं की जाएगी तथा ऐसे पंजीयन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। छद्म एवं बेनामी नाम/डमी आंकड़ें— A, B, C, AB, BC, X, XY, XYZ इत्यादि जैसे विवरणी के साथ पंजीयन आवेदन स्वीकार किये जाने की स्थिति में आप जवाबदेह होंगे तथा इसके लिए यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को वर्णित आलोक में सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि अधीनस्थ सभी विद्यालयों के प्रधान को विस्तारित अवधि (दिनांक 18.08.2026 से 22.08.2026 तक) में ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने हेतु बैठक/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट रूप से निदेशित करने की कृपा की जाए।
5. शाखा प्रबंधक, HDFC Bank Ltd. Maurya Lok Branch, Patna एवं शाखा प्रबंधक, Indian Bank, Budha Marg Branch, Patna को उक्त आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. (i) उप निदेशक, आई०टी०/सिस्टम एनालिस्ट (माध्यमिक) को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि अपने निगरानी एवं पर्यवेक्षण में उक्त के आलोक में सभी आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाय तथा इसका निरंतर अनुश्रवण किया जाय ताकि किसी प्रकार की त्रुटि एवं विसंगति न हो।

(ii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द है अथवा मान्यता/संबद्धता वापस ले ली गयी है तथा जो निलंबित है, वैसे विद्यालयों से पंजीयन/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जा सके, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा के लिए चिन्हित विद्यालयों की सूची भी परीक्षार्थियों की संख्या के साथ प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ताकि चिन्हित विद्यालयों से ही व्यावसायिक विषय में निर्धारित संख्या के अनुसार पंजीयन आवेदन भरा जा सके। साथ ही किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान छात्र/छात्रा एवं उनके माता-पिता के नाम तथा अन्य विवरणी के स्थान पर अंग्रेजी के वर्ण यथा-A, B, C, AB, BC, X, XY, XYZ आदि छद्म एवं बेनामी नाम/डमी आंकड़ों की प्रविष्टि नहीं की जाएगी, तथा ऐसे पंजीयन आवेदन स्वीकार नहीं करने हेतु कारगर तकनीकी व्यवस्था सहित सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। पंजीयन से संबंधित इस कार्य निर्वहन में आई०टी० प्रशाखा (माध्यमिक) का सतर्क जांच एवं सतत् अनुश्रवण अपेक्षित है।

(iii) यह भी अनुरोध है कि विद्यार्थी, उनके अभिभावक, विद्यालयों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के जानकारी हेतु इस विज्ञप्ति की प्रति समिति के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि सभी संबंधितों द्वारा अपने स्तर पर इस निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(iv) विज्ञापन प्रसारण की सूचना राज्य के सभी माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को ई-मेल/WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाय। इसके लिए विद्यालयों के प्रधान का WhatsApp ग्रुप बनाया जाए। इसकी सूचना माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के प्रधान एवं संबंधित विद्यार्थियों को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। तदनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए जन संपर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

7. सभी उप सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. प्रभारी पदाधिकारी, भंडार (मा०) एवं वित्त पदाधिकारी/मुख्य लेखा पदाधिकारी (मा०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
9. निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
10. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, निदेशक, आई०टी० तथा परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०) को सूचनार्थ प्रेषित।

17/7/2018

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

17/7/2018

17/7/2018